तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/10/25	वकील फरीकैन उप०। प्र० दावा वादी खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible]। [illegible] अनुसार होकर नेबा से कम होकर [illegible] सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–640 / 04 तारीख रजु:–23.11.04

उनवान

1. जमुनालाल आयु 45 साल
2. निरंजनलाल आयु 30 साल
3. राजू आयु 25 साल — पुत्रान स्व0 नारायण लाल
4. नानगी बेवा नारायण आयु 65 साल (मृतक)
5. मोहरबाई पुत्री नारायण आयु 45 साल
6. जगदीश पुत्र रामखिलाडी आयु 12 साल
7. मुस0 माया पुत्री रामखिलाडी आयु 14 साल — नावालिगाान जरिये वली कुदरती नानगी बेवा नारायण

सभी जातियान माली निवासीयान करौली तहसील, जिला करौली राज0

——वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र स्व0 पॉचया आयु 25 साल जाति माली निवासी करौली
2. मुस0 कौशल्या पुत्री पॉच्या आयु 23 साल
3. मुस0 पुष्पा पुत्री रामभजन आयु 27 साल — जाति माली निवासी पॉचना करौली हाल विरहटी कल्याणी तहसील करौली
4. रामकिशोर पुत्र स्व0 रामजीलाल आयु 35 साल
5. बालकृष्ण पुत्र रामजीलाल आयु 30 साल
   जाति माली निवासीयान छोटा पॉचना करौली तहसील व जिला करौली राज0
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली राज0
7. वेदप्रतापसिंह पुत्र राजवीरसिंह जाति राजपूत निवासी करौली तहसील व जिला करौली राज0

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 7/10/25

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि कस्बा करौली में आराजीयात खसरा नम्बरान 564 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा, खसरा नम्बर 567 रकवा 12 विस्वा एवं खसरा नम्बर 624 रकवा 1 विस्वा एवं खसरा नम्बर 630 रकवा 8 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 3 बीघा स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पितामह रामलाल के समयकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जिनमें वादीगण का [illegible] एवं हिस्सा खातेदारी काश्तकारी है एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का 1/3 [illegible] एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 5 का 1/3 हक एवं हिस्सा है [illegible] आराजीयात पितामह रामलाल के समय की है वादी एवं प्रतिवादी की निजी खरीद कर्दा नहीं है वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 पूर्वज रामलाल की सन्तान है। सजरा मद नंबर 2 में दर्ज है। रामलाल के तीन पुत्र बुधा, नारायण एवं रामजीलाल थे जो स्वर्गवासी हो चुके है रामलाल भी स्वर्गवासी हो चुका है बुधा के पुत्र पॉच्या एवं रामभजन भ्झी स्वर्गवास हो चुके है पॉच्या के लडके लडकी प्रतिवादी नं01 व 2 है रामभजन की पुत्री प्रतिवादी नं0 3 है

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.04.20 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested

रामजीलाल स्वर्गवास हो चुका है उसके पुत्र रामकिशोर एवं बालकृष्ण है जो प्रतिवादी नं04 एवं 5 है नारायण की बेवा नानगी है और नारायण के चार पुत्र वादी जमुना, निरंजन एवं राजू है एवं रामखिलाडी था जो स्वर्गवासी हो चुका है उसके पुत्र एवं पुत्री वादी नं0 6 एवं 7 है वादीगण को दिनांक 9/11/04 को नकल सेटिलमेन्ट खतौनी सम्वत 2015 की रिकार्ड रूम से प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के हक में हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज की जानकारी हुयी तब वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के हक में हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने को कहा तो साफ इन्कार हो गये इसलिये वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 ने राजस्वा कर्मीयों से सजिश कर कर अपने हक में अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज हकूक वादीगण पर बेअसर प्रभावहीन व शून्य है वादीगण का विवादित भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदारी काश्तकार है और वादीगण अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है वादीगण अपने हक में विवादित भूमि के 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि का अवैध खातेदारी इन्द्राज के सबब मुआवजा राशि को हडपने पर आमदा है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से हकूक वादीगा पर भारी आघात है। अगर प्रतिवादीगण ने दौराने दावा विवादित भूमि की मुआवजा राशि पॉचना बंध डूब भूमि का प्राप्त कर लिया तो हकूक वादीगण पर भारी आघात है। अगर प्रतिवादीगण ने दौराने दावा विवादित भूमि की मुआवजा राशि पॉचना बंध डूब भूमि का प्राप्त कर लिया तो हकूक वादीगण पर भारी आघात होगा और वादीगण को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी एवं बेजा मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विनाय मुखासमत दावा दिनांक 9/11/04 को वादीगण द्वारा विवादित भूमि की नकल सेटिलमेन्ट खतौनी सम्वत 2015 लेने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 ता 5 से विवादित भूमि के खातेदारी इन्द्राज 1/3 हिस्सा के वादीगण के हक में दुरूस्त कराने कह कहने पर प्रतिवादीगण साफ इन्कार करने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है अतः दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 5 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण का विवादित भूमि में किसी प्रकार से हक [illegible] खातेदारी नहीं है, नाही किसी भाग पर कब्जा काश्त [illegible] लडकियां, लौहरी, वत्तो, तोफा औश्र है। जिनमें से वत्तो तो जीवित है [illegible] तोफा व लौहरी मर चुकी है, तोफा के दो लडके धर्मा व हन्सराम जीवित है लौहरी के दो नन्दलाल, बुजमोहन जीवित है जो इस प्रकारण से आवश्यक पक्षकार है। तथा सजरे में नानगी, जमुना, निरंजन, राजू को प्रतिवादी अंकित किया हुआ है जबकि शीर्षक में इन्हें वादीगण दर्शाया है। लेकिन इस मद में यह कहना की सेटिलमेंन्ट खतौनी सम्वत 2015 की 9.11.04 को प्रतिवादीगण के हक में वर्तमान इन्द्राज की जानकारी वादीगण को हुई है, कतई गलत अभिकथित है और स्वीकार नहीं है और असलियत को छिपा रहे है, सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.20 17:26:39 IS
Reason: SelfAttested

हालात विशेष विवरण में अंकित किये हैं। वादीगण किसी प्रकार के विवादित भूमि में अपने हकूक खातेदारी की घोषणा कराते के अधिकारी नहीं है, पूरे हालात विशेष विवरण में दर्ज है। समय समय पर पक्षकारान ने अपने हकूक खातेदारी के अनुसार जिस जिस जमीन जो डूब में आई है उसका मुआवजा पक्षकारान ने उठाया है। अब प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हकूक खातेदारी की जमीन का भाग डूब में आ जाते से उसका मुआवजा मिल रहा है उसमें तनाजा पैदा करने के लिये वर विनाय वदयान्ती यह झूठा दावा किया है और सही हालात को छुपाया है। विनाय दावा वादीगण को पैदा नहीं होता हैं। इनके विवादित भूमि में किसी प्रकार के हकूक खातेदारी नहीं है। और नाही कब्जा है। विवादित भूमि में से खसरा नं0 564, 567 तथा 624 के सम्बन्ध में वादीगण की जानकारी में दावा तहत धारा 188 आर0टी0एक्ट एवं 53 आर0टी0एक्ट दावा उनवानी रामजीलाल बनाम पॉच्या वगैरह न्यायालय एस. डि.ओ. साहब करौली में नम्बरी 178/99 दिनांक 7.10.99 को प्रस्तुत हुआ जिसमें तहसीलदार करौली भी बतौर प्रतिवादी पक्षकार थी। उक्त दावे में तीन वर्ष तक मुकदमा चलते के पश्चात दिनांक 5.9.02 को विधि अनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त दावा डिक्री हुआ है जिसकी फाईनल डिक्री दिनांक 12.09.02 को उक्त निर्णय के अनुसार बनी है। विवादित भूमि ख. ने0 567 में से मिन न0 567/1 रकवा 6 विस्वा व खं. नं. 564 में से मिन न. 564/1 रकवा 1 वीघा कुल 1 वीघा 6 विस्वा भूमि रामजीलाल के पुत्र रामकिशाोर व बालकृष्ण की खातेदारी में रही है तथा मिन नं. खसरा नं. 567/2 करवा 6 विस्वा तथा मिन नं. खसरा नं. 564/2 रकवा 19 विस्वा कुल 1 वीघा 5 विस्वा प्रतिवादी नं.3 पुष्पा की खातेदारी में रखी गई और उस डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया। इन सारे तथ्यों की जानकारी आरम्भ से ही वादीगण को रही है। अंत मे दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

जवाबुल जबाव पेश कर कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजी वृद्वा नारायण रामजीलाल पिसरान रामलाल माली निवासी करौली के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। जिनमें रामलाल माली निवासी करौली की लडकियों का कोई खातेदारी काश्तकारी मालिकाना काबिजाना सम्बन्ध नहीं है आराजीयात में लोहरी बत्तों एवं तोहफा का कोई हक हकूक नहीं है नानगी, जमना, निरंजन, राजू का दावे के सजरे में टाईप भूल से वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्ती का आवेदन कर दिया है। इनका प्रतिवादीगण होने का प्रश्न नहीं हैं। वादीगण है वादीगा [illegible] मुआवजा नहीं लिया गया है। वादीगण के हक हिस्से की भूमि का मुआवजा प्रति–वादीगण को लेने का अधिकार नहीं हैं। डूब में आई भूमि [illegible] का 1/3 हिस्सा व हक हैं। और 1/3 हिस्सा का मुआवजा वादीगण [illegible]त वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हिस्सा व हक हैं। और 1/3 हिस्सा का मुआवजा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण रामजीलाल बनाम दावा संख्या 178/99 में वादीगण पक्षकार नहीं हैं। औश्र प्रतिवादीगण [illegible] व रामजीलाल पॉच्या ने वादीगण से छिपाते हुये वादीगण को पक्षकार बनाये वगैर वादीगण ाके हक हकूको मारने की वदनियती से न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.04.20 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested

धोखा देकर प्रतिवादीगण व रामजीलाल व प्रतिवादीगण पॉच्या ने दावा संख्या 178/99 में कूट रचित तरीके से फर्जी डिक्री प्राप्त कर ली हैं जो हक हकूक वादीगण पर वाध्यकारी नहीं हैं। और वादीगण के हक हकूको पर प्रारम्भत प्रभावहीन व शून्य हैं और प्रतिवादीगण जो कि पॉच्या व रामजीलाल के वारिसान हैं उनके कोई हक हकूक उक्त डिक्री से प्राप्त नहीं होता हैं उक्त डिक्री की जानकारी होन पर वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में अपील पेश कर दी गई हैं जिसमें तारीख पेश 9.12.05 नियत हुई हैं इस प्रकार प्रतिवादीगण को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होता हैं। डिक्री तथा कथित पूर्णतः विधिविरूद्व राजस्व रिकार्ड के विपरित हैं राजस्व रिकार्ड में वादीगण का 1/3 हिस्सा हैं कोई बंटवारा मौके पर नहीं हैं प्रतिवादीगण ने सारी फर्जी कार्यवाही पेपर इन्द्राज वादीगण से छिपते हुऐ न्यायालय को धोखा देकर पटवारी हल्का से तैयार किये हैं कराये है वादीगण अपने हक व हिस्से की जायदाद पर आज भी कबिज हैं उक्त अवैध डिक्री के आधार पर किये गये राजस्व रिकार्ड हक हकूक वादीगण पर वाध्यकारी नहीं हैं प्रभावहीन हैं व शून्य है वादपत्र में दर्ज समस्त खसरा नम्बरान में वादीगण का 1/3 हक हिस्सा संयुक्त कब्जा हैं चाह में वादीगण का हक हिस्सा व कब्जा हैं प्रतिवादीगण का वादीगण के हक हिस्से की जायदाद पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है खसरा नम्बर 564 में वादीगण के 1/3 हक व हिस्सा है जो सेटिलमेंन्ट रिकार्ड से बखूबी साबित हैं 2010 से 13 की जमाबन्दी से बखूबी साबित है कोई समझोता वादीगण व प्रतिवादीगण व उनके पिता के बीच नहीं हुआ है। अंत दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र मद नंबर 1 वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पुश्तैनी खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की है। जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा हक है। वादीगण अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

2. आया वादीगण विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

3. आया वादीगण विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से के संयुक्त खातेदार काबिज है। वादीगण अपने 1/3 हिस्से का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

4. आया दावा वादीगण वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

–प्रतिवादीगण

5. अनुतोषः–

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.20 17:26:39 I
Reason: SelfAttested

वाद विवाधक बिन्दु वादीगण साक्ष्य की गयी। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी निरंजन pw-1 के बयान लेखवद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–67 प्रदश –1 एवं सेटलमेंट खतौनी संवत 2015 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 प्रदर्श–3 एवं जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–4 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादीगण बन्द की गयी।

प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

बहस वकील वादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि कस्बा करौली में आराजीयात खसरा नम्बरान 564 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा, खसरा नम्बर 567 रकवा 12 विस्वा एवं खसरा नम्बर 624 रकवा 1 विस्वा एवं खसरा नम्बर 630 रकवा 8 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 3 बीघा स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पितामह रामलाल के समयकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है जिनमें वादीगण का 1/3 हक एवं हिस्सा खातेदारी काश्तकारी है एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 5 का 1/3 हक एवं हिस्सा है। उक्त आराजीयात पितामह रामलाल के समय की है वादी एवं प्रतिवादी की निजी खरीद कर्दा नहीं है वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 पूर्वज रामलाल की सन्तान है। सजरा मद नंबर 2 में दर्ज है। रामलाल के तीन पुत्र बुधा, नारायण एवं रामजीलाल थे जो स्वर्गवासी हो चुके है रामलाल भी स्वर्गवासी हो चुका है बुधा के पुत्र पॉच्या एवं रामभजन भ्झी स्वर्गवास हो चुके है पॉच्या के लडके लडकी प्रतिवादी नं01 व 2 है रामभजन की पुत्री प्रतिवादी नं0 3 है रामजीलाल स्वर्गवास हो चुका है उसके पुत्र रामकिशोर एवं बालकृष्ण है जो प्रतिवादी नं04 एवं 5 है नारायण की बेवा नानगी है और नारायण के चार पुत्र वादी जमुना, निरंजन एवं राजू है एवं रामखिलाडी था जो स्वर्गवासी हो चुका है उसके पुत्र एवं पुत्री वादी नं0 6 एवं 7 है वादीगण को दिनांक 9/11/04 को नकल सेटिलमेन्ट खतौनी सम्वत 2015 की रिकार्ड रूम से प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के हक में हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज की जानकारी हुयी तब वादीगण ने प्रतिवादी ... ता 5 के हक में हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने कहा तो साफ इन्कार हो गये इसलिये बाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 ने राजस्व कर्मीयों से साजिश कर अपने हक में अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज हकूक वादीगण बेअसर प्रभावहीन व शून्य है वादीगण का विवादित भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदारी काश्तकार है और वादीगण अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है वादीगण अपने हक में विवादित भूमि के 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि का अवैध खातेदारी इन्द्राज के सबब मुआवजा राशि को हडपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.20 17:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

पर आमदा है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से हकूक वादीगा पर भारी आघात है। अगर प्रतिवादीगण ने दौराने दावा विवादित भूमि की मुआवजा राशि पॉचना बांध डूब भूमि का प्राप्त कर लिया तो हकूक वादीगण पर भारी आघात है। अगर प्रतिवादीगण ने दौराने दावा विवादित भूमि की मुआवजा राशि पॉचना बंध डूब भूमि का प्राप्त कर लिया तो हकूक वादीगण पर भारी आघात होगा और वादीगण को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी एवं बेजा मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि वादीगण का विवादित भूमि में किसी प्रकार से हक हकूक खातेदारी नहीं है, नाही किसी भाग पर कब्जा काश्त है। रामलाल की तीन लडकियां, लौहरी, वत्तो, तोफा औश्र है। जिनमें से वत्तों तो जीति है तथा तोफा व लौहरी मर चुकी है, तोफा के दो लडके धर्मा व हन्सराम जीवित है, लौहरी के दो नन्दलाल, बुजमोहन जीवित है जो इस प्रकारण से आवश्यक पक्षकार है। तथा सजरे में नानगी, जमुना, निरंजन, राजू को प्रतिवादी अंकित किया हुआ है जबकि शीषक में इन्हें वादीगण दर्शाया है। लेकिन इस मद में यह कहना की सेटिलमेंन्ट खतौनी सम्वत 2015 की 9.11.04 को प्रतिवादीगण के हक में वर्तमान इन्द्राज की जानकारी वादीगण को हुई है, कतई गलत अभिकथित है और स्वीकार नहीं है और असलियत को छिपा रहे है, सही हालात विशेष विवरण में अंकित किये हैं। वादीगण किसी प्रकार के विवादित भूमि में अपने हकूक खातेदारी की घोषणा कराते के अधिकारी नहीं है, पूरे हालात विशेष विवरण में दर्ज है। समय समय पर पक्षकारान ने अपने हकूक खातेदारी के अनुसार जिस जिस जमीन जो डूब में आई है उसका मुआवजा पक्षकारान ने उठाया है। अब प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हकूक खातेदारी की जमीन का भाग डूब में आ जाते से उसका मुआवजा मिल रहा है उसमें तनाजा पैदा करने के लिये वर विनाय वदयान्ती यह झूठा दावा किया है और सही हालात को छुपाया है। विनाय दावा वादीगण को पैदा नहीं होता हैं। इनके विवादित भूमि में किसी प्रकार के हकूक खातेदारी नहीं है। और नाही कब्जा है। विवादित भूमि में से खसरा नं0 564, 567 तथा 624 के सम्बन्ध में वादीगण की जानकारी में दावा तहत धारा 188 आर0टी0एक्ट एवं 53 आर0टी0एक्ट दावा उनवानी रामजीलाल बनाम पॉच्या वगैरह न्यायालय एस.डी.ओ. साहब करौली में नम्बरी 178/99 दिनांक 7.10.99 को प्रस्तुत हुआ जिसमें तहसीलदार करौली भी बतौर प्रतिवादी पक्षकार थी। उक्त दावे में तीन वर्ष तक मुकदमा चलते के पश्चात दिनांक 5.9.02 को विधि अनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त दावा डिक्री हुआ है जिसकी फाईनल डिक्री दिनांक 12.09.02 को उक्त निर्णय के अनुसार बनी है। विवादित भूमि ख. ने0 567 में से मिन न0 567/1 रकवा 6 विस्वा व ख. नं.

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.20 17:26:39 IS
Reason: SelfAttested

564 में से मिन न. 564/1 रकबा 1 बीघा कुल 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि रामजीलाल के पुत्र रामकिशोर व बालकृष्ण की खातेदारी में रही है तथा मिन नं. खसरा नं. 567/2 करबा 6 बिस्वा तथा मिन नं. खसरा नं. 564/2 रकबा 19 बिस्वा ककुल 1 बीघा 5 बिस्वा प्रतिवादी नं.3 पुष्पा की खातेदारी में रखी गई और उस डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया। अंत मे दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:—

विवाद्यक संख्या 01 ता 03 साबित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 01 ता 03 आपस में एक—दूसरे के पूरक है। इसलिए दोनों का एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। विवाद्यक संख्या 01 व 03 को साबित करने के लिए वादीगण ने पेश की है परन्तु वादी द्वारा दौराने दावा प्रतिवादी नंबर 4 व 5 के विरूद्ध दावा वादी विड्रा राजीनामा दिनांक 6.7.12 के द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार वादी विवाद्यक संख्या 1 ता 3 को राजीनामा हो जाने से साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 1 ता 3 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 04 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः विवाद्यक संख्या 4 को प्रतिवादीगण साबित करने में असफल हरे है। विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 05 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 01 व 04 के विवेचन से वादीगण राजीनामा दिनांक 6.7.12 से प्रतिवादी नंबर 4 व 5 के विरूद्व दावा विड्रा कर चुके है। इस प्रकार वादीगण भूमि में कोई खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा कराने के एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें। तदानुसार खर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.20 17:26:39
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 7/10/25 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)